भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या \*98

उत्तर देने की तारीख : 29-07-2015

**वन-ग्रामों के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन**

\*98. श्री पि॰ भट्टाचार्यः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में पिछले दो वर्षों के दौरान वन-ग्रामों और इनके निवासियों के लिए कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों का, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान उक्त प्रयोजन के लिए राज्य-सरकारों के साथ-साथ संबद्ध विभागों द्वारा आबंटित, संस्वीकृत, जारी और उपयोग में लायी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इन वन-ग्रामों को राजस्व ग्रामों में अंतरित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री मनसुखभाई धांजीभाई वसावा)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

\*\*\*\*

**दिनांक 29.07.2015 को “वन ग्रामों के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन” के संबंध में श्री पि. भट्टाचार्य द्वारा पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. \*98 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विवरण।**

(क) : जनजातीय कार्य मंत्रालय वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासी जो वन ग्रामों में भी निवास करते हैं उनके लिए अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षिप्त में वन अधिकार अधिनियम) प्रशासित करता है। वन निवासी अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी जो पीढ़ियों से ऐसे वनों में निवासरत हैं लेकिन जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सका, उनके वन भूमि पर वन अधिकार तथा कब्जे को मान्यता एवं अधिकार देने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

31 मई, 2015 तक कुल 43,63,114 दावे प्राप्त किए गए हैं, जिनमें से 1654431 अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। तमिलनाडु राज्य में यद्यपि 3723 अधिकार पत्र तैयार है जो माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन के कारण अब तक वितरित नहीं किए गए। दिनांक 31.05.2015 तक देश में वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के ब्यौरे **अनुलग्नक-।** में है।

(ख) : कोई पृथक आवंटन या कार्यक्रम वन ग्रामों तथा निवासियों के लिए नहीं बनाया गया है। तथापि, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), इस मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रुप से स्थापित एक शीर्ष संगठन, अनुसूचित जनजातियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिन्हें अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षिप्त में एफआरए) के तहत वन अधिकार दिए गए हैं। एक लाख रु. तक की लागत की योजना के 90 प्रतिशत तक का ऋण 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर प्रदान किया जा सकता है। यह शुरु की गई नई योजना है तथा एनएसटीएफडीसी ने इसे कार्यान्वित करने के लिए राज्य चेनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) से अनुरोध किया है। आज की तारीख तक, राजस्थान के 66 लाभार्थियों के लिए निधियां स्वीकृत की जा चुकी हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के पास जनजातीय वन निवासी सशक्तिकरण की योजना के अंतर्गत निधियों का नियत आवंटन नहीं है। आवंटन राज्यों में जनजातीय वन निवासियों की बहुलता पर केवल सांकेतिक रुप से आधारित है। किसी विशेष राज्य सरकार से जब और जैसी मांग प्राप्त होती है तब योजना की शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन निधियां जारी की जाती हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय वन क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत 150 दिन की मजदूरी का रोजगार प्रदान करता है। इस कदम से विभिन्न राज्यों में लगभग 8 लाख लोगों को लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, मनरेगा के अंतर्गत निर्धारित 100 दिनों के अलावा 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार उन लोगों को प्रदान किया गया है जिन लोगों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत पट्टा प्राप्त है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी “इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)” के तहत वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थियों के लिए विशेष प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 72080 व्यक्तिगत अधिकार धारकों को इंदिरा आवास योजना से जोड़ा जा चुका है।

कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा वन ग्रामों तथा इसके निवासियों के अवसंरचनात्मक विकास के लिए आवंटित, स्वीकृत तथा निर्मुक्त राशि निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु. में)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| वर्ष | आवंटन | स्वीकृत | निर्मुक्त |
| 2013-14 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2014-15 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| **कुल** | **50.00** | **50.00** | **50.00** |

(ग) : इस मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(1)(ज) के अंतर्गत वन ग्रामों, पुराने अधिवासों, असर्वेक्षित गांवों आदि को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर वन अधिकार अधिनियम के अनुसार वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में परिवर्तन की स्थिति **अनुलग्नक-।।** पर दी गई है।

\*\*\*\*\*\*

**अनुलग्नक-।**

**दिनांक 29.07.2015 को “वन ग्रामों के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन” के संबंध में श्री पि. भट्टाचार्य द्वारा पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. \*98 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।**

अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत अधिकार पत्रों के दावे तथा वितरण का विवरण

**(31.05.2015 तक)**

| क्र.सं. | राज्य | प्राप्त दावों की संख्या | वितरित अधिकार पत्रों की संख्या | अस्वीकृत दावों की संख्या | निपटाएं गए दावों की कुल सख्या/प्राप्त दावों का % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4,11,012 (4,00,053 व्यष्टि और 10,959 सामुदायिक) | 1,69,370 (1,67,263 व्यष्टि और 2,107 सामुदायिक) | 1,65,466 | 3,34,836  (81.47%) |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | - | - | - | - |
| 3. | असम | 1,31,911 (1,26,718 व्यष्टि और 5,193 सामुदायिक) | 36,267 (35,407 व्यष्टि और 860 सामुदायिक) | 37,669 | 73,936  (56.04%) |
| 4. | बिहार | 2,930 | 28 | 1,644 | 1,672  (57.06%) |
| 5 | छत्तीसगढ़ | **8,60,064** | **3,45,279** | **4,87,881** | **833160**  **(96.87%)** |
| 6. | गोवा | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7. | गुजरात | 1,90,097 (1,82,869 व्यष्टि और 7,228 सामुदायिक) | 74,720 (70,845 व्यष्टि और 3,875 सामुदायिक) | 3,556(2,455 व्यष्टि और 1,101 सामुदायिक) | 78,276  (41.18%) |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | **5,692**  **(व्य-5409, स- 283)** | **346 (व्य-238, स-108)** | **2,162(व्य-2117, स-45)** | **2,508**  **(44.06%)** |
| 9. | झारखंड | 51224 (50360 व्यष्टि, 864 सामुदायिक) | 22913 (व्यष्टि 22419, सामुदायिक 494) | 15530 | 38,443  (75.05%) |
| 10. | कर्नाटक | 365387 (3,59,252 व्यष्टि और 6135 सामुदायिक) | 7,709 (7,608 व्यष्टि और 101 सामुदायिक) | 1,74,519  (1,72,275 व्यष्टि और 2,244 सामुदायिक) | 1,82228  (49.87%) |
| 11.. | केरल | 37,535 (36,140 व्यष्टि और 1,395 सामुदायिक) | 24,599 | 7,889 | 32,488  (86.55%) |
| 12. | मध्यप्रदेश | 599005 (व्य-558336, स-40669) | 206342 (व्य-186851, स-19491) | 352009 | 5,58351 (93.21 %) |
| 13. | महाराष्ट्र | **3,51,953 (व्यष्टि 344891, सामुदायिक 7062)** | **1,08,992**  **(व्यष्टि- 105715, 3277 सामुदायिक)** | **229730 (व्यष्टि 227883, सामुदायिक 1847)** | **3396**2**7**  **(96.**50**%)** |
| 14. | मणिपुर | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 15. | मेघालय | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 16. | मिजोरम | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 17. | नागालैण्ड | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 18 | ओडिशा | 6,10,681 (5,98,179 व्यष्टि, 7688 सामुदायिक व 4814 सीएफआर दावे) | 3,49,541 वितरित (3,44,541  व्य़ष्टि, 2910 सामुदायिक व 2090 सीएफआर अधिकार पत्र) | 1,57,094 (1,5,6793  व्यष्टि 288 सामुदायिक व 13 सीएफआर दावे) | 5,06,635  (82.96%) |
| 19. | राजस्थान | 69,775 (69,125 व्यष्टि और 650 सामुदायिक) | 34,254 (34,189 व्यष्टि और 65 सामुदायिक) | 32260 | 66514 (95.33%) |
| 20. | सिक्किम | - | - | - | - |
| 21. | तमिलनाडु | 21,781 (18,420 व्यष्टि और 3,361 सामुदायिक) | (3,723 अधिकार पत्र तैयार) | - | 3723  (17.09%) |
| 22. | त्रिपुरा | 1,82,617 (1,82,340 व्यष्टि और 277 सामुदायिक) | 1,20,473 (1,20,418 व्यष्टि और 55 सामुदायिक) | 21,384 (21,164 व्यष्टि और 220 सामुदायिक) | 1,41,857  (77.68%) |
| 23 . | तेलंगाना | **2,35,552 ((व्यष्टि-231368, सामुदायिक 4184)** | **95022 वितरित (व्यष्टि 94278, सामुदायिक 744)** | **95681 (व्यष्टि 93850, सामुदायिक 1831** | **1,90,703 (80.96%)** |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 93,635 (92,520 व्यष्टि और 1,115 सामुदायिक) | 18,546 (17,712 व्यष्टि और 834 सामुदायिक) | 74,768 | 93,314  (99.66%) |
| 25. | उत्तराखंड | 182 | - | 1 | 1  (0.54 %) |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 1,42,081 (1,31,962 व्यष्टि और 10119 सामुदायिक) | 36307  (व्य.-35903,  स.-346, सीएफआर- 58) | 710 | 37017.00 (26.05%) |
| 27. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | - | - | - | - |
| 28. | दमन व दीव | - | - | - | - |
| 29 | दादर व नगर हवेली | - | - | - | - |
|  | कुल | **4363114 (व्य-4251118, स- 107182, सीएफआर-4814)** | 1654431 (व्य- 1617016, स**- 35267 व सीएफआर -2148)** | 1859953 (व्य-1852364, स- 7576, सीएफआर - **13)** | 3515289**.00 (80.57%)** |

**अनुलग्नक-II**

**“वन ग्रामों के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन” के संबंध में श्री पि. भट्टाचार्य द्वारा दिनांक 29.07.2015 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. \*98 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।**

राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुसार वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में परिवर्तन की स्थिति

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **राज्य का नाम** | **वन ग्रामों से राजस्व ग्रामों में परिवर्तन** |
| 1. | मध्यप्रदेश | 925 वन ग्राम राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के लिए चिह्नित किए गए |
| 2 | महाराष्ट्र | नंदूरवार में 73 ग्रामों को छोड़कर सभी वन ग्राम राजस्व ग्रामों में परिवर्तन की प्रक्रिया में है। |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 421 वन गाम राजस्व ग्रामों में परिवर्तित हुए। |
| 4 | पश्चिम बंगाल | 86 वन गाम राजस्व ग्रामों में परिवर्तित हुए। |
| 5 | ओडिशा | दर्ज किए गए 22 वन ग्राम तथा असर्वेक्षित अधिवास राजस्व ग्रामों में परिवर्तन के लिए चिह्नित किए गए। |
| 6 | गुजरात | 196 पंजीकृत वन बसावटों में से, 175, राजस्व ग्रामों में परिवर्तन के लिए चिह्नित किए जा चुके हैं। |
| 7 | उत्तरप्रदेश | 12 पंजीकृत वन बसावटों में से, 6, राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किए गए। |

\*\*\*\*